न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर,जिला–दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
	सुखराम बनाम राज. सरकार मु.नं. २३/२५ (विविध)	
२६·१२·२४	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रा.पत्र अस्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/24	02.04.24	26.12.24

बउनवान

सुखराम पुत्र अर्जुन निवासी धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान।

..प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावर जिला दौसा राजस्थान।

...अप्रार्थी

उपस्थितः श्री प्रीतम चन्द सैनी, अभिभाषक प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती रिकॉर्ड अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा राजस्थान में स्थित खसरा नम्बर 134 रकबा 0.80 हैक्टे. में प्रार्थी का 11/64 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में अंकित है जो प्रार्थी व अन्य सहखातेदारान की आराजी है। आराजी खसरा संख्या 134 प्रार्थी के पिता अर्जुन पुत्र भोरया की खातेदारी की आराजी रही है। उनके हिस्से की आराजी से अन्य किसी भी व्यक्ति का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं रहा है। प्रार्थी को उक्त आराजी विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थी का सही नाम सुखराम पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी धौलखेडा है किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम उक्त आराजी में गलत दर्ज कर दिया गया है। राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से अन्य खातेदारों से मिलकर जमाबंदी में सुखराम पुत्र अर्जुन के बजाय सूखा पुत्र अर्जुन दर्ज कर दिया गया जबकि प्रार्थी की खातेदारी की अन्य आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.84 हैक्टे. में प्रार्थी का सही नाम सुखराम पुत्र अर्जुन जाति मीना सा. देह दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग या राजस्व कर्मचारियों को इस प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। भू प्रबन्ध विभाग/ राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्रार्थी का नाम ही बदल दिया गया। आराजी खसरा नम्बर 135 में प्रार्थी का नाम सुखराम पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी धौलखेडा के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज था तथा प्रार्थी का सही नाम भी सुखराम पुत्र अर्जुन ही है किन्तु राजस्व कर्मचारियों व भू प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रार्थी का नाम सूखा पुत्र अर्जुन दर्ज कर दिया है जिससे प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। उक्त गलती के बने रहने से प्रार्थी को भारी नुकसान हो रहा है तथा प्रार्थी के अधिकारों का हनन हो रहा है। इसलिये प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 135 में प्रार्थी का नाम सूखा पुत्र अर्जुन के स्थान पर सुखराम पुत्र अर्जुन दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। उक्त दुरूस्ती किये जाने से किसी भी सहखातेदार अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति को किसी

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकार की क्षति होने की संभावना नहीं है। उक्त गलत प्रविष्टि की पूर्व में जानकारी नहीं थी लेकिन प्रार्थी द्वारा नकल लेने पर इसकी जानकारी हुई। राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रार्थी कोई अनुतोष नहीं चाहता है और ना ही अन्य सहखातेदारों के हित प्रभावित हो रहे है। इसलिये अन्य सहखातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थना पत्र जानकारी से अन्दर मियाद है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 134 रकबा 0.80 हैक्टे. वाके ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा की खातेदारी मे दर्ज सूखा पुत्र अर्जुन को हजफ फरमाया जाकर उसके स्थान पर सुखराम पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी धौलखेडा तहसील मण्डावर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार मण्डावर को वास्ते जवाब नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत किया कि ग्राम धौलखेडा की वर्तमान जमाबंदी 2074–2077 (वर्ष 2020) से स्थाई के खाता संख्या 195 में खसरा नम्बर 134 रकबा 0.80 हैक्टे. किस्म चाही 3 जगराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 11/64, विश्राम पुत्र अर्जुन हिस्सा 5/16 राहिन अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मण्डावर, शिवराम पुत्र अर्जुन हिस्सा 11/64, सूखा पुत्र अर्जुन हिस्सा 11/64 दर्ज रिकार्ड है। उक्त खसरा नम्बर 2059–2061 में खाता संख्या 20 पर गणेश सिंह पुत्र मानसिंह जाति राजपूत सा. देह के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि का गणेश सिंह द्वारा ग्राम धौलखेडा के नामान्तकरण संख्या 163 दिनांक 20.10.2003 द्वारा सूखा, शिवराम, जगराम, रामभरोसी पुत्रान अर्जुन हिस्सा 55/80 व विश्राम पुत्र अर्जुन हिस्सा 25/80 जाति मीना के नाम बेचान कर दिया गया है। उक्त भूमि उनवानी की पैतृक भूमि नहीं है एवं स्वयं प्रार्थी द्वारा खरीदी गयी भूमि है। ग्रामवासियों से की गयी जानकारी अनुसार, सूखा पुत्र अर्जुन एवं सुखराम पुत्र अर्जुन एक ही व्यक्ति है एवं सही नाम सुखराम पुत्र अर्जुन है। प्रार्थी द्वारा उपलब्ध मूल दस्तावेजों में भी सुखराम पुत्र अर्जुन अंकित है।

प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गयी। उनके द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार रिपोर्ट तथा अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। खाता संख्या 195 खसरा नम्बर 134 ग्राम धौलखेडा तहसील मण्डावर जिला दौसा में दर्ज प्रविष्टि सूखा पुत्र अर्जुन को प्रार्थी संशोधित कर सुखराम पुत्र अर्जुन करवाना चाहता है। तहसीलदार मण्डावर की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में उल्लिखित जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि नामांतरण संख्या 163 दिनांक 20.10.2003 के द्वारा दर्ज हुई है।

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 में प्रावधान है कि :

136. गलतियों का शुद्धिकरण– भू–अभिलेख अधिकारी को किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकेगा या उन्हें शुद्ध

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

करवा सकेगा, जिनका अधिकार– अभिलेख या रजिस्टर में कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे या जिन्हें कोई राजस्व अधिकारी किसी भी रजिस्टर में अपने निरीक्षण के दौरान नोटिस देख लें।

परन्तु जब किसी राजस्व अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण के दौरान किसी भी अधिकार अभिलेख में किसी भी गलती को नोटिस किया जाये तो कोई भी ऐसी गलती तब तक शुद्ध नहीं की जावेगी जब तक कि पक्षकारों को हेतुक दर्शित करने का नोटिस नहीं दे दिया गया हो।)

तहसीलदार मण्डावर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 में उल्लिखित प्रावधान से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा जिस प्रविष्टि के सम्बन्ध में दुरुस्ती चाही गई है, वह प्रविष्टि नामांतरण संख्या 163 दिनांक 20.10.2003 के द्वारा दर्ज हुई है तथा इस प्रविष्टि को संशोधित किया जाना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 की परिधि में नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण पोषनीय नहीं है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के प्रावधान के अंतर्गत पोषनीय नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 26.12.2024 को न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner